भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1895
उत्तर देने की तारीख : 14.12.2023

मदरसा ढहाया जाना

1895. श्री अब्दुल खालेक:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अल्पसंख्यक आयोग को अगस्त 2022 में असम के बोंगाईगांव जिले के कबैटरी में मदरसा के ढहाए जाने के संबंध में कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग ने शिकायत की जाच स्वयं की है या राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ग) क्या हथियारों की बरामदगी या गिरफ्तार व्यक्ति के किसी आतंकवादी संगठन में शामिल होने के मामले में आतंकवाद का कोई कोण शामिल है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (घ): जी हां। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) को असम में बोंगाईगांव जिले के कैबैटरी में मदरसे के ढहाए जाने के संबंध में माननीय लोकसभा सांसद, श्री अब्दुल खालेक से दिनांक 05.09.2022 को एक पत्र प्राप्त हुआ। आयोग ने एनसीएम अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इस मामले में असम सरकार से स्थिति रिपोर्ट की मांग की।

असम सरकार की रिपोर्ट में कहा गया है कि मदरसे की संरचना जनता के लिए अत्यंत खतरनाक और मानव के निवास के लिए असुरक्षित थी। संरचनाओं को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 26(2) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 34(ग) धारा 34(ट) और 34(ड) के तहत ध्वस्त कर दिया गया था। इसके अलावा, गोलपारा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, उक्त मदरसे के सहायक शिक्षकों में से एक शिक्षक को भारतीय दंड संहिता की धारा 121/121 (क) / 120 (ख) के साथ पठित गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 18/18(ख)/19/20 के तहत केस संख्या 105/2022 के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। AQIS (भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा) से संबद्ध ABT (अंसारुल्लाह बांग्ला टीम) नामक राष्ट्र-विरोधी तत्वों के साथ उसकी संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं।

*****